2024/59

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2024 (राजसमन्द डिक्री)

राधेश्याम सोनी पिता चांदमल जी सोनी, निवासी न्यू अहिंसापुरी–31, पावाविहार, फतहपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पिता तुलछाराम, जाति जाट, निवासी पीडी की ढ़ाणी, जिला नागौर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ दिनांक 21–07–2023 प्रकरण संख्या 23/2021 वाद पत्र

––––::––––

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलार्थी

2– श्री पी.सी. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

––––::––––

निर्णय **दिनांक 15–12–2025**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम कलालो की आती, तहसील देवगढ़ में आराजी नम्बर 376/4 रकबा 2 बीघा भूमि [illegible] जो खातेदार पुनाराम से वादी ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। [illegible] नम्बर 376/4 खातेदार को 17 वर्ष पहले आवंटित की [illegible] एवं खातेदारी अधिकार दिनांक 21.08.2018 को दी गई थी, किन्तु वादी के नाम नामान्तकरण नही खुल पाया। उपरोक्त आदेश तहसील देवगढ़ की पत्रावली संख्या 37/18 दिनांक 15.11.2018 सरकार बनाम पुनाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:08 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

विरूद्ध खातेदार पुनाराम द्वारा अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 10.12.2019 को स्वीकार की जाकर तहसील देवगढ़ के निर्णय को अपास्त किया गया तथा निर्णय की पालनार्थ प्रकरण तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया। वर्तमान में संवत् 2076 को सेंटलमेंट किया गया एवं वादी की कृषि भूमि पूर्व के खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 662 व 663 को विलोपित कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में सेंटलमेंट के दौरान खसरा नम्बर 376 को विलोपित कर नये नम्बर 662 व 663 बनाये जाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये गये। अतः वादी को आराजी नम्बर 662 व 663 में से 2 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.07.2023 को निर्णय पारित करते हुए विवादित आराजी नम्बर 376/4 रकबा 2 बीघा का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.03.2024 को प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित हुये। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुये अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया की दिनांक 07.03.2024 को विपक्षी संख्या 1 मौके पर आये एवं कब्जा लेने हेतु कहा तब उक्त निर्णय व डिक्री जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई अतः देरी को क्षमा किया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:08 IST
Reason: SelfAttested

6. अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] कि प्रार्थी आराजी नम्बर 376 का खरीद के आधार पर मालिक है, [illegible] अधीनस्थ न्यायालय में उसके पक्षकार नही बनाये जाने से वह अपना पक्ष प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधि...
एवं पदेन राजस्व अपील ...
उदयपुर (राज.)

नही कर सके। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

7. हमने प्रार्थना पत्र को अवलोकन कर उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ संभागीय आयुक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.08.2020 व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये है, जिनके अवलोकन से अपीलान्ट प्रथम दृष्टया प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. गुणावगुण कर बहस करते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपने केस को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से बिना सिद्ध कराये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवायें बिना तथा बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री किया है, जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट की कब्जे शुदा भूमि की तरमीम अपने नाम कराने चाहता है, जो बिना अधिकार के है। साबिक आराजी नम्बर 376 बहुत बड़ा रकबा है तथा आंवटन उसी आराजी से सभी को किया गया है, परन्तु रेस्पोडेन्ट के नाम आंवटन शुदा रकबा कभी भी तरमीम नही हुआ है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

9. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

10. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा हमारे समक्ष संभागीय आयुक्त उदयपुर का निर्णय दिनांक 17.08.2020 प्रस्तुत किया गया है जिसमें संभागीय आ[illegible] मा[illegible] ने आराजी नम्बर 994/376 के संबंध में निर्णय पारित [illegible] हुए तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट राधेश्याम सोनी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि आराजी नम्बर 376 बहुत बड़ा रकबा होकर उसमें से कई व्यक्तियों को आंवटन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:08 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधि.
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जो डिक्री जारी की उक्त भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नही बनाये जाने से उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हुआ है। हमने अपीलान्ट का धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें प्रभावित पक्षकार माना है, जिससे उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

11. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है अपीलान्ट को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संस्थित किया जाकर तथा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.01.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते
उदयपुर

15.12.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:08 IST
Reason: SelfAttested